न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 34/2019

उनवान

(1) उमेश कुमार व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।
(2) मुकेश कुमार व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा।

—: वादीया

बनाम

(1) छगनलाल पिता राजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) मनोहर लाल व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.3.2021

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 02 की पैतृक कृषि भुमि प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि खाता संख्या 322 (नया) 292 (पुराना) कुल किता 19 रकबा 2.18 हे0 एवं खाता संख्या 719 (नया) 643 (पुराना) कुल किता 03 रकबा 0.84 हे0 भूमि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा में दर्ज रिकार्ड है। भूमि वादीगण की पैतृक होकर प्रतिवादी नम्बर 01, वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 02 का पिता है। वादीगण की वंशावली निम्नानुसार है:—

वादीगण की उपरोक्त भुमि पर वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त कब्जा काश्त हैं परन्तु उक्त खाते के मुल पुरूष टेकलाल की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र राजीलाल के नाम से दर्ज हुई एवं राजीलाल की मृत्यु उपरान्त उनके तीन पुत्रों के नाम पृथक पृथक दर्ज रेकार्ड हुई। उपरोक्त दोनो खातो की भुमि में प्रतिवादी नम्बर 01 अपने हिस्से की भुमि का खातेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 02 के पिता प्रतिवादी नम्बर 01 छगनलाल को कुछ भूमाफियाओं ने नशे की आदत डालकर नशेडी बना दिया है और प्रतिवादी नम्बर 01 का मानसिक संतुलन भी ठिक नहीं है एवं प्रतिवादी नम्बर 01 छगनलाल को नशे की हालत मे बहला फुसलाकर उक्त उक्त [illegible] विक्रय करवाने को आमादा है। जिस वजह से. वादीगण को उपरोक्त पैतृक खातेदारी भुमि [illegible] घोषित किया जाना आवश्यक है। इस हेतु वाद धारा 88 रा.का. अधिनियम [illegible] प्रतिवादी नम्बर 01 उक्त दोनों खातो की पैतृक खातेदारी भुमि को नशे की [illegible] खुर्द बुर्द करने एवं विक्रय करने आमादा [illegible] वादीगण को अपनी पैतृक भुमि से बेदखल करना चाहता है। [illegible] कि सम्पूर्ण भुमि. पैतृक [illegible] कर वादीगणका इस भुमि मे जन्म से ही अधिकार है परन्तु उक्त प्रतिवादी नम्बर 01 नशे की हालत मे उक्त दोनो खातो की पैतृक खातेदारी की. भुमि खुर्द बुर्द करने और अन्यत्र विक्रय कर वादीगण को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहतां है । जिस वजह से उक्त प्रतिवादी नम्बर 01 को जरिये स्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा उक्त कृषि भूमि को विक्रय करने, बेदखल करने, खुर्द बुर्द करने से रोका जाना आवश्यक है, इस हेतु धारा 188 रा.का. अधिनियम के तहत पेश है। प्रतिवादी अपने नाम का अनुचित लाभ प्राप्तकर वादीगण को बेदखल करने एवं हडपने के उद्देश्य से भुमि को खुर्द बुर्द कर रोजाना ग्राहको को लाकर भुमि बता रहा है। जिस वजह से प्रतिवादी नम्बर 01 को भुमि को विक्रय, हस्तान्तरण या रहन इत्यादी से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। वादीगण को उपरोक्त भुमि का सहखातेदार घोषित नही किया जाता है तो प्रतिवादी सम्पूर्ण भूमि विक्रय कर देगा व वादिगण अपने पैतृक भुमि के संवैधानिक अधिकारो से वंचित हो जायेगा। इसलिए वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण के नाम जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की जाने पर वादी की साक्ष्य के रूप में श्री मुकेश पिता छगनलाल का शपथ-पत्र पेश होकर दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जाकर वादी की साक्ष्य बन्द करवाई जाने पर वादी अभिभाषक की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

वादी अभिभाषक की बहस पर मनन करने एंव वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न खाता संख्या 322 (नया) 292 (पुराना), खाता संख्या 719 (नया) 643 (पुराना) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 तथा साक्ष्य का शपथ-पत्र आदि का अवलोकन करने पर न्यायालय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि प्रकरण में वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 02 के पिता के प्रतिवादी संख्या 01 वर्तमान में जीवित है, इस कारण वादीगण का वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है। परन्तु वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में दिये प्रावधान अनुसार पैतृम भूमि में जन्म से अधिकार निहीत होने से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के 3/4 हिस्से को खुर्द-बुर्द नही करने के कम में स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 322 (नया) 292 (पुराना) कुल किता 19 रकबा 2.18 हे0 एवं खाता संख्या 719 (नया) 643 (पुराना) कुल किता 03 रकबा 0.84 हे0 भूमि के 3/4 हिस्से को खुर्द-बुर्द नही किया जाने के कम में स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 322 (नया) 292 (पुराना) कुल किता 19 रकबा 2.18 हे0 एवं खाता संख्या 719 (नया) 643 (पुराना) कुल किता 03 रकबा 0.84 हे0 भूमि के 3/4 हिस्से को खुर्द-बुर्द नही किया जाने के कम में स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.3.2021 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 34 / 2019

उनवान

) उमेश कुमार व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
) मुकेश कुमार व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादीया

बनाम

). छगनलाल पिता राजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
) मनोहर लाल व्यास पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी पालोदा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण.

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 10.3.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता कि पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 322 (नया) 292 (पुराना) कुल किता 19 रकबा 2.18 हे0 एवं खाता संख्या 719 (नया) 643 (पुराना) कुल किता 03 रकबा 0.84 हे0 भूमि के 3/4 हिस्से को खुर्द–बुर्द नही किया जाने के कम में स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 10.3.2021 को जारी की गई।

((अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य	कुल	शून्य
कुल	शून्य		

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:10:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner